

तहसील पौड़ी, थलीसैण तथा चाकीसैण, जनपद पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा उत्तर-प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा यथा संशोधित संख्या- 197/2015 / XXXVII(9) / स्टाम्प-40 / 2010 देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9 के पत्र संख्या- 161/2016 / XXXVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 देहरादून दिनांक 10 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद गढ़वाल की तहसील थलीसैण तथा चाकीसैण हेतु पूर्व में जारी किए गये सर्किल रेट आदेश संख्या- 01/2016 / XXXVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2016 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि / भवनों की दरें (सर्किल रेट) निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाते हैं। यह दरें 16 जून 2016 से प्रभावी होंगी। इन दरों (सर्किल रेट) का सम्पूर्ण विवरण NIC पौड़ी वेबसाइट pauri.nic.in पर भी उपलब्ध है।

|| कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल ||

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

Email : dmgarhwal@gmail.com ph. 01368-222250 Fax - 222080
पत्रांक : 48 / स्टाम्प / 2016-17 दिनांक पौड़ी / 4 जून, 2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- उपजिलाधिकारी पौड़ी, थलीसैण तथा चाकीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उपनिबन्धक पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार पौड़ी, थलीसैण तथा चाकीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय प्रति।

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर ----- (BASE RATE)														
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टेयर लाख ₹० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० ₹० में))			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर ₹० में)			वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर ₹० में)			गैर-वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर ₹० में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	200 मीटर से अधिक	200 मीटर से अधिक	रुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी पक्का / कच्चा			
1	1	कोटद्वार मार्ग पर चोपड़ा गांधी से मालरोडक होते हुये नये बस स्टेशन तक ग्राम पौड़ी, काण्डई, झीवा, बंजारी	1	819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800-0				
2	2	बस स्टेशन से धारा रोड कचहरी अपार बाजार होते हुए एजेन्सी तक ग्राम पौड़ी, काण्डई, झीवा	2	819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800-0				
3	3	धारा रोड के मस्जिद / निर्वला बाजार डाकघर के पीछे वाली सड़क सहित जल गांधी तक ग्राम पौड़ी	3	819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800-0				
4	4	स्टेशन से श्रीनगर रोड से होते हुये प्रेमनगर द्वारा तक	4	819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800-0				
5	5	एजेन्सी से कण्डीलिया रोड पर कण्डीलिया बाजार तक	5	819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800-0				
6	6	कोटद्वार मार्ग पर चोपड़ा गांधी से गल्ला गोदाम गांधी तक	6	819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800-0				

(बन्धु शेखर भट्टर)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

7	नये बस स्टेशन से देवप्रयाग मार्ग नगर पालिका की अन्तिम सीमा तक	819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800
8	कण्डोलिया मैदान से डिग्री कालेज / विकास कार्यालय वाली सड़क तक	819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800
9	एजेन्सी से उपलब्धकारी निवास वाली जीप रोड तक	819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800
10	बुवाखाल से माण्डाखाल की आखिरी सीमा पर्वी खिरू रोड तक	819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800
11	बुवाखाल से कण्डोलिया मोटर मार्ग	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	33000	32186	11760	10800
12	रासी से बयूंकालेश्वर मोटर मार्ग	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	33000	32186	11760	10800
13	कण्डोलिया से साकिट हाउस मोटर मार्ग	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	33000	32186	11760	10800

तहसील पौड़ी के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल स्टे)

1	प्रमनगर द्वार से गडौली नगर पालिका की अन्तिम सीमा तक	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	30000	29666	11760	10800
2	पौड़ी ल्वाली मोटर मार्ग पर नगर पालिका की आखिरी सीमा तक	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	30000	29666	11760	10800
3	जेल गार्डरसे वीथिया गांव नरसिंह धारा पैदल मार्ग नगर पालिका सीमान्तर्गत	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	30000	29666	11760	10800
4	बुवाखाल के निकट से पौड़ी - श्रीनगर बाईपास (गडौली बाईपास) मोटर मार्ग	819600	785450	751300	700	687	657	12500	30000	28795	11760	10800
5	सत्याखाल जीप मार्ग नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत	819600	785450	751300	700	687	657	12500	30000	28795	11760	10800
6	गन्ना गोदाम गार्डर से बुवाखाल बाजार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	819600	785450	751300	1835	1807	1729	13600	32000	31132	11760	10800
7	ग्राम धुन्डी लगा खेडा बाह बाजार अभिसूचित क्षेत्र	819600	785450	751300	1205	1189	1137	13000	22500	21921	11760	10800

(चन्द्र शंकर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील पौड़ी के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल स्टे)

1	घुडदौड़ी, कटुड़, न्याली लगा भेटा, ल्याली, पावाँ कल्जीखाल, अगरोडा	785450	751300	717150	386	369	352	11700	14572	11122	11270	10350
2	सडक के दोनो ओर की भूमि विशिष्ट ग्राम बारहसूँ तहसील पौड़ी - डोभ श्रोकट, गुआखाल, नगर पालिका छोडकर, मासी, डाण्डापानी, खालीबाँसे, कोट महादेव, टेका, कांसखेत, घण्डियाल वनेख, अदवाणी, नाहसैण बगानीखाल	785450	751300	717150	380	364	347	11700	14561	11111	11270	10350
3	तहसील पौड़ी के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामों को छोडकर समस्त मोटरमार्गों की भूमि	785450	751300	717150	312	299	285	11100	13798	10498	10780	9900

तहसील पौड़ी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची


1	तहसील पौड़ी के अन्तर्गत सम्यक जीप सिक मार्ग	751300	737640	717150	165	162	157	12500	12916	12500	12300	9900
2	तहसील पौड़ी के अन्तर्गत अन्य समस्त राजस्व ग्राम	751300	737640	717150	74	73	71	11000	13530	10030	10780	9900

तहसील थलीसैण के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल स्टे)

1	कपरोली मोटरमार्ग पर सडक के दोनो ओर की भूमि	751300	737640	717150	391	384	373	11300	13983	10683	10780	9900
2	तहसील थलीसैण के अन्तर्गत ग्राम कैन्पुर सडक के दोनो ओर की भूमि	751300	737640	717150	492	483	470	11300	14185	10885	10780	9900
3	तहसील थलीसैण के उपनिबन्धक पौड़ी के क्षेत्रान्तर्गत मोटरमार्ग पर पडने वाली भूमि	751300	737640	717150	312	306	298	11300	13824	10524	10780	9900

तहसील थलीसैण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट)

4	तहसील थलीसैण के उपनिबन्धक पौड़ी के क्षेत्रान्तर्गत समूक जीपमार्ग / मोटरमार्ग पर पड़ने वाली भूमि	751300	737640	717150	173	170	165	11300	13547	10247	10780	9 900
5	तहसील थलीसैण के अन्तर्गत समस्त राजस्वग्राम जो कि उपनिबन्धक पौड़ी के क्षेत्रान्तर्गत है।	751300	717150	683000	173	170	165	11300	13547	10247	10780	9 900
तहसील चाकीसैण के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट)												
1	पैठाणी, पैठाणी बाजार की सीमा से सटे ग्राम सेरा, बासकोट, बहेड़ी लो सिखोला, सिलोली, डांग लो भटकोट सड़क के दोनों ओर की भूमि	751300	737640	717150	400	393	382	11300	14000	10700	10780	9900
2	तिरपालीसैण, भटकोट, चाकीसैण, चौरा, नजरामहादेव	751300	737640	717150	391	384	373	11300	13983	10683	10780	9900
तहसील चाकीसैण के अन्तर्गत मोटर मार्ग पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट)												
3	तहसील चाकीसैण के अन्तर्गत ग्राम बाजकोट, सिमडी नलाई सड़क के दोनों ओर की भूमि	751300	737640	717150	343	336	327	11300	13886	10586	10780	9900
4	तहसील चाकीसैण के उपनिबन्धक पौड़ी के क्षेत्रान्तर्गत मोटरमार्ग पर पड़ने वाली भूमि	751300	737640	717150	343	336	327	11300	13886	10586	10780	9900
5	तहसील चाकीसैण के अन्तर्गत समस्त राजस्व ग्राम जो कि उपनिबन्धक पौड़ी के क्षेत्रान्तर्गत है।	751300	737640	717150	71	70	68	11300	13343	10045	10780	99 00


 (चन्द शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मुला निम्नलिखित है :-

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में क्षरण लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :- $D = P(1 - RD/100)^N$ RD = भवन की औसत आयु

100

D = क्षरण मूल्य (Depreciated Value)	P = वर्तमान मूल्य	N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)	51 वर्ष	52 वर्ष	53 वर्ष	54 वर्ष	55 वर्ष	56 वर्ष	57 वर्ष	58 वर्ष	59 वर्ष	60 वर्ष	61 वर्ष	62 वर्ष	63 वर्ष	64 वर्ष	65 वर्ष	66 वर्ष	67 वर्ष	68 वर्ष	69 वर्ष	70 वर्ष	71 वर्ष	72 वर्ष	73 वर्ष	74 वर्ष	75 वर्ष	76 वर्ष	77 वर्ष	78 वर्ष	79 वर्ष	80 वर्ष	81 वर्ष	82 वर्ष	83 वर्ष	84 वर्ष	85 वर्ष	86 वर्ष	87 वर्ष	88 वर्ष	89 वर्ष	90 वर्ष	91 वर्ष	92 वर्ष	93 वर्ष	94 वर्ष	95 वर्ष	96 वर्ष	97 वर्ष	98 वर्ष	99 वर्ष	100 वर्ष	
1	0.990	26	0.770	0.598	0.592	0.587	0.581	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366
2	0.980	27	0.762	0.592	0.587	0.581	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366	
3	0.970	28	0.754	0.587	0.581	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366		
4	0.960	29	0.747	0.581	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366			
5	0.950	30	0.739	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366				
6	0.941	31	0.731	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366					
7	0.932	32	0.724	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366						
8	0.927	33	0.717	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366							
9	0.913	34	0.710	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366								
10	0.904	35	0.703	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366									
11	0.890	36	0.696	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366										
12	0.880	37	0.689	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366											
13	0.870	38	0.682	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366												
14	0.868	39	0.675	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366													
15	0.860	40	0.668	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366														
16	0.851	41	0.662	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366															
17	0.842	42	0.655	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																
18	0.834	43	0.649	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																	
19	0.826	44	0.642	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																		
20	0.817	45	0.636	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																			
21	0.809	46	0.629	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																				
22	0.801	47	0.623	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																					
23	0.793	48	0.617	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																						
24	0.785	49	0.611	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																							
25	0.777	50	0.605	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																								


सामान्य अनुदेशिका

1-	यह मूल्यांकन सूची का भाग है।
2-	विलेख में सम्पत्ति/भूमि का नगर पालिका खाता सं०/बन्दोबस्त सं०/खसरा सं०/खेवट सं०/राजस्व ग्राम तथा प्रमुख मार्ग/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित की जानी तथा सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु याचित तथ्य अंकित किए जाने अनिवार्य होंगे। विलेख के द्वारा अन्तर्गत सम्पत्ति/भूमि की चौहद्दी भी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।
3-	कृषि भूमि का मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):- (1) कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि- (1) कृषि भूमि 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (2) कृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (3) कृषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (2) 0.1 हैक्टर (1000 वर्गमीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी। (3) जनपद के केवल पर्वतीय क्षेत्रों में तप्त कारतकारों के हितार्थ अकृषक भूमि की न्यूनतम सीमा को 500 वर्गमीटर किया जाता है।
4-	अकृषि भूमि का मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):- अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि - (1) अकृषि भूमि 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (2) अकृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (3) अकृषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
5-	बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट के मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):- (1) बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट का मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा। (2) बहुमंजिला इमारतों के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित बहुमंजिला इमारतों हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि- (1) बहुमंजिला इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (2) बहुमंजिला इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (3) बहुमंजिला इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

6-	(1)	गाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान का मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-
	(1)	बहुमंजिली इमारत / व्यवसायिक सम्पत्ति जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
	(2)	बहुमंजिली इमारत / व्यवसायिक सम्पत्ति जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
	(3)	बहुमंजिली इमारत / व्यवसायिक सम्पत्ति जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
7-		गाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान / गाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
8-		शापिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी गाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः-10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी गाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
9-		ऐसी दुकान / गाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किए जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्नक खूली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की दो गुनी दर के आधार पर आकलित किया जायेगा।
10-		व्यवसायिक सम्पत्ति के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत जोड़कर आंकलित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी।
11-		छोटें दुकानदरों के हितार्थ एकल व्यवसायिक सम्पत्तियां जो कि शापिंग मॉल / कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं हैं, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से लगाया जाता है।
12-		उद्योगों की स्थापना किए जाने एवं उनके निर्माण की लागत कम आने के दृष्टिगत औद्योगिक निर्माण की दर टीन पोश / द्वितीय श्रेणी निर्माण हेतु निर्धारित दर के समान की जाती है।
13-		उत्तर-प्रदेश वित्त निगम, उत्तर-प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, आर्थीनिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजर मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किए गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निषादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख पत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।
14-		मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख / मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र कर सम्पत्तियों के अन्तर्गत विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख / मुख्य मार्गों के दोनों ओर की दूरी का मानक जिला स्तर पर जिले के कालक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
15-		कृषि या अकृषिक भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किए जाने वाले गाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की दो गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आकलित दर से होगा।
16-		किसी भी प्रकार की भूमि / आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि / आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
17-		बहुमंजिलीय आवासीय परिसर में स्थित पलैट / बहुमंजिलीय गाणिज्यिक भवन में स्थित गाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिलीय आवासीय परिसर / बहुमंजिलीय गाणिज्यिक भवन के परिवर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

18-	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के आवासीय / औद्योगिक / गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकृता प्राधिकारी / संस्था / विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त विलेख में भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल अंकित किए जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र / मान्यताप्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी (लेण्टर पोस), द्वितीय श्रेणी (टीन पोश) अथवा पलैट्स का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
19-	पलैट का तात्पर्य उत्तर-प्रदेश ओनरशिप ऑफ पलैट एक्ट 1975 के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
20-	भूमि / सम्पत्ति के अन्तर्ण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कॉलोनी की दशा में सम्बन्धित कॉलोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति का मूल्यांकन कॉलोनी / क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि / सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कॉलोनियां / मोहल्लों / क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
21-	वाणिज्यिक / अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।
22-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारिणी सलन है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। पलैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
23-	वाउण्ड्रीवाल के स्थित होने पर रूपये 1000/- रनिंग शीटर की दर से मूल्यांकन किया जाएगा।
24-	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि 10,000/-रु० निर्धारित है।
25-	टीन पोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
26-	किरी भी औद्योगिक इकाई का अन्तर्ण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेंट एगूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा।
27-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग / क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दर एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
28-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दर निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।
29-	मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किए जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा -
(I)	किरी विलेख पर स्टाप्प शुल्क की प्रभाविता या उस पर प्रभावि शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
(II)	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि / सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(III)	विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति के कृषि / अकृषि / आवासीय / अनावासीय / व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
(IV)	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान, 2- रेस्टोरेन्ट, 3- कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर-प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आखादित हों, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(V)	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या / बन्दोवस्त संख्या / खसरा संख्या / खेवट संख्या / राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वाञ्छित तथ्य विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि / सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख / मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(VI)	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क - सड़कों / मार्ग / मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(VII)	मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यालयों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर-प्रदेश स्टाप्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।
(VIII)	पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ सलन किया जाना अनिवार्य होगा, जो विलेख का भाग माना जाएगा।

30-	सम्पत्ति की सीमा में उल्लेखित सड़क की चौड़ाई तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों इतर अन्य मुख्य सड़क का तात्पर्य लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य कार्यदायी विभाग द्वारा निर्मित मुख्य मार्ग के मानक से होगा।
31-	व्यवसायिक / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/ दुकान के प्रतिवर्गमीटर किराये निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा। जिसके लिए मूल्यांकन प्रतिवर्गमीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X निर्मित क्षेत्रफल X 300 + मूलखण्ड की उच्चतम अकृषिक सर्किल दर के दो गुने के मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।
32-	तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने सम्बन्धी प्रलेख पर सिंचित भूमि की दर डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने सम्बन्धी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दर लागू होगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रख्यापित न हो तो उन प्रकारों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से अंकित किया जायेगा।
33-	तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर से कम भूमि आती है तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु भाई, बहन तथा नाती-पौतों के सम्बन्ध न हो तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निधारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।
34-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्सम्बन्धी निर्देश अलग से निर्गत किए जायेंगे।


 (चन्म शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा उत्तर-प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा यथा संशोधित संख्या- 197/2015 / XXXVII(9) / स्टाम्प-40 / 2010 देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9 के पत्र संख्या- 161/2016 / XXXVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 देहरादून दिनांक 10 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद गढ़वाल की तहसील श्रीनगर हेतु पूर्व में जारी किए गये सर्किल रेट आदेश संख्या- 01/2016 / XXXVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2016 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि / भवनों की दरें (सर्किल रेट) निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाते हैं। यह दरें 16 जून 2016 से प्रभावी होंगी। इन दरों (सर्किल रेट) का सम्पूर्ण विवरण NIC पौड़ी वेबसाइट pauri.nic.in पर भी उपलब्ध है।

|| कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल ||

Email : dmgarhwal@gmail.com ph. 01368-222250 Fax - 222080

पत्रांक : ५४ / स्टाम्प / 2016-17 दिनांक पौड़ी 14 जून, 2016

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- उपजिलाधिकारी श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उपनिबन्धक श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय प्रति।

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / रा- जस्व ग्रामों के नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टेयर लाख ₹० में)					प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० ₹० में))					वहुभजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर ₹० में)		वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर ₹० में)		नैर-वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर ₹० में)	श्रेणी (सर्मी पक्का / द्वितीय कच्चा)
				0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	9	10	11	12	13					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1		भलगांव, कोठड़, पुराना श्रीनगर, उल्लभसिंह बाला		695520	591192	532073	5300	4660	3240	15740	46600	41600	10440	9600					
2		कोटबूला, सुनारगांव, रेवडी, काण्डई, श्रीकोट गंगानाली, फतेपुर रेली		695520	591192	532073	4020	3730	3380	14460	44000	39200	10440	9600					

(चन्द्र शंखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्राम की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर ----- (BASE RATE)														
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हैक्टेयर लाख रु० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में)			वहूभूजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)		नैर-वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर रु० में)					
				0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1		1- उकल्डा, 2. डांग रेंदाणा		695520	591192	532073	2702	2585	2468	12700	39905	36455	10005	9200				
2		1. नकोट, 2. वैद्यागं, 3. कोटरखर, 4. स्तीत		695520	591192	532073	1294	1238	1181	11300	37088	33538	10005	9200				
3		खण्डाह, वडेली, कलीयासाँह, डंजरीपत, भट्टीसाँह - श्रीनगर - पौड़ी मोटरमार्ग, ऋषिकेश - बदीनाथ मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम, ग्रामीण मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम - दहलवासी, न्याड, डिर्स, पोखरी उपरोक्त वर्गीकृत श्रेणियों के अलावा अन्य किसी भी मोटरमार्ग पर पड़ने वाले ग्राम		695520	591192	532073	460	440	420	10465	35200	31970	10005	9200				


तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजख ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)											
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टरवार लाख रु० में)	प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में)	वहु-मंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	नैर-वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर रु० में)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
				695520	591192	532073	385	378	368	9955	33770	30470	9570	8800
				तहसील श्रीनगर के ग्राम भलगोव, कोठड़, पुराना श्रीनगर, उत्तमसिंहवाला, कोटबूला, सुनारगांव, रेवड़ी, काण्डई, श्रीकोट गंगानाली, उकलड़ा जंग एरानां, नकोट, वैद्यगांव, कोटेश्वर, रसीत, फतेहपुरवती, को छोड़कर सभी शेष ग्राम से सम्बन्धित।										

तहसील लैन्सडौन, धुमाकोट, सतपुली, चौबट्टाखाल, थलीसेण जनपद पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा उत्तर-प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा यथा संशोधित संख्या- 197 / 2015 / XXXVII(9) / स्टाम्प-40 / 2010 देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9 के पत्र संख्या- 161 / 2016 / XXXVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 देहरादून दिनांक 10 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद गढ़वाल की तहसील तहसील लैन्सडौन, धुमाकोट, सतपुली, चौबट्टाखाल, थलीसेण हेतु पूर्व में जारी किए गये सर्किल रेट आदेश संख्या- 01 / 2016 / XXXVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2016 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि / भवनों की दरें (सर्किल रेट) निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाते हैं। यह दरें 16 जून 2016 से प्रभावी होंगी। इन दरों (सर्किल रेट) का सम्पूर्ण विवरण NIC पौड़ी वेबसाइट pauri.nic.in पर भी उपलब्ध है।


॥ कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल ॥


(वन्द शंखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

Email : dmgarhwal@gmail.com ph. 01368-222250 Fax - 222080
पत्रांक : ५४ / स्टाम्प / 2016-17 दिनांक पौड़ी ५ जून, 2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- उपजिलाधिकारी लैन्सडौन, धुमाकोट, सतपुली, चौबट्टाखाल, थलीसेण जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उपनिबन्धक लैन्सडौन जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार लैन्सडौन, धुमाकोट, सतपुली, चौबट्टाखाल, थलीसेण जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय प्रति।


(वन्द शंखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील तैन्सडौन के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र (छावनी परिषद) हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
		कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति मीटर तक)	50 मीटर से अधिक तक	200 मीटर से अधिक तक	0-50 मीटर तक	अकृषि भूमि 51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)		
1	कैन्ट छावनी क्षेत्र तैन्सडौन कोर्ट, रोड से उपरी भाग से कैन्ट आफिस ई0एम0ई0 तक	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	कैन्ट छावनी क्षेत्र तैन्सडौन कोर्ट, रोड से उपरी भाग से कैन्ट आफिस ई0एम0ई0 तक		छावनी परिषद		2775	2680	2660	12450	31194	28170	9676	8991		
2	पोस्ट आफिस के पीछे वाली गली मुख्य बाजार की सड़क		छावनी परिषद		2910	2850	2790	12580	31460	28436	9676	8991		
3	गाँधी चौक, मयूर सिनेमा, इवरा लार्डन, डिग्गी लार्डन, कैन्ट स्कूल तक		छावनी परिषद		2775	2680	2660	12450	31194	28170	9676	8991		
4	कालेश्वर रोड, वकील मौहल्ला रोड, गाँधी चौक से सेवा योजना कार्यालय तक		छावनी परिषद		2775	2680	2660	12450	31194	28170	9676	8991		

(सन्त शंखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

2

तहसील लैन्सडौन के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
		प्रमुख मार्ग पर स्थित 0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	प्रमुख मार्ग पर स्थित 0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर टुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर-वाणिज्यिक भवन की दर (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)		
1	गुमखाल, चैलूसैण, सिलोमी, देवीखेत, कीर्तिखाल, मटखाल, हारीखाल	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	3896200	3771260	3584504	425	420	390	10100	14557	14221	9676	8991			
2	सकमुण्डा, पौखाल, औडल, खुण्डोली, रणेहाट लगगा मजीना, मजीना	5667200	5630929	5213284	625	610	560	10310	14909	14573	9676	8991		
3	फरसूला, जहरीखाल, जहरी, डेरीखाल, वाडियू, पालकोट, बिलिगी, गोयूँ जदला, बिलांसू दर्था	6776000	6732633	6233920	710	705	650	10380	15079	13399	9676	8991		
4	बंजा देवी, काण्डा नाला	3253468	3098541	2869020	369	351	325	10045	14427	14091	9676	8991		

(बन्धु शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील लैन्सडौन के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
		प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			51 मीटर से 200 मीटर तक			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर-वाणिज्यिक भवन की
		0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	9	10	11	12	13		
1	मटियाली लगगा, मलेथा, भयांसू (देवीखाल से कनमटोलिया तक)	3726800	3663940	3577720	390	375	350	10105	16885	14533	9676	8991		
2	सिलवाड़, सैधीखाल से रथुवाढाब तक, डेरियाखाल से धिरोली तक, पौखाल से जखणीखाल तक, रथुवाढाब से काण्डा नाला तक, रथुवाढाब से देवियोखाल तक, चुण्डई से दौरी सैधीखाल तक	3794500	3634190	3542770	400	385	350	10075	12530	12194	9676	8991		
3	डेरियाखाल से विलगी तक लैन्सडौन से गुमखाल तक,	3967040	3813020	3708350	428	400	390	10100	12602	12266	9676	8991		
4	रिखणीखाल से किलवाखाल, चखुलिया खाल से ताडकोशवर, शिखरखाल से कलवाडी, चैलसैण से देवीखाल, रिखणीखाल से खमाखेत, गुडियलखेत	2926061	2786724	2580300	321	306	283	10000	13670	11990	9676	8991		
5	अन्य ग्रामीण क्षेत्र	694073	661022	612057	78	74	69	9755	10890	11560	9676	8991		

(चन्द्र शंखर भट्ट)
जिलाशिक्षाई महबाल

तहसील धुमाकोट के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
		प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			वहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित	वाणिज्यिक भवन की दर	गैर-वाणिज्यिक भवन की	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	धुमाकोट से खाल्यूडाण्डा, धुमाकोट से भैदावन, दिवाडाण्डा से भरपूर तहसील धुमाकोट तक, सिमडी से पनास तक, गोलीखाल से किमगोडीखाल लिस्टाखत तक या समस्त लिंक मार्ग	3850000	3791680	3696000	405	380	350	10080	14663	13991	9676	8991		
2	पुनोडी, जामुण, जुई, कालाखण्ड	3118500	3098540	2869020	355	350	325	10050	14091	13419	9676	8991		
3	अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्र	694073	661022	612057	78	74	69	9755	10890	10554	9676	8991		

(मन्त शंखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल



तहसील सतपुली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
		प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित				बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर	गैर-वाणिज्यिक भवन की	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	गुमखाल से बाँसाल तक, सतपुली से भटवाडी, बरीना से वडडा, सतपुली से जणदा देवी, डाण्डामन्डा से मानपुर, सतपुली से बान्धाट, संतुधार से मासों, बैजशेपानी से कुणजखाल, सभी लिंक मोटर मार्ग	3850000	3791680	3696000	460	450	440	10135	17015	16007	9676	8991		
2	अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्र	706926	673263	623392	77	73	68	9740	8536	8200	9676	8991		

(बन्धु शेखर भट्टर)
जिलाधिकारी गडवाल

तहसील सतपुली के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
		प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			वहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर	नैर-वाणिज्यिक भवन की	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	सतपुलीसैण	15338400	15240230	14111325	1570	1500	1445	11250	20027	17003	9676	8991		
2	झारीखाल, गवीनवाडा, अमोठा, एकेश्वर, रीठाखाल, संगलकोटी, मँटाकुपड, बोंसाल, वडडा, खँरासैण, पाटीसैण, चमोलीसैण	3726800	3702940	3428650	370	350	340	10045	13453	12109	9676	8991		

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील चौबट्टाखाल के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
		प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	पाटीसेँण से नौगांवखाल तक, नौगांवखाल से दमदेवल तक, पाटीसेँण से मासों तक, नौगांवखाल से सैधार, चौबट्टाखाल से दमदेवल से समस्त लिंक मार्ग	3850000	3786400	3630000	460	455	435	10000	16711	14731	9504	8830		
2	विशिष्ट ग्राम नौगांवखाल, चौबट्टाखाल, मन्जगांव, देवराजखाल, म्वाडी, सोडियाखाल, चौपडा, पोखडा, दमदेवल, किरखू सांसों, मासों, खिलारुं	3850000	3786400	3630000	460	455	435	9965	15686	15026	9504	8830		
3	अन्य ग्रामीण क्षेत्र	687874	655118	612260	75	71	67	9575	8384	8054	9504	8830		

(चन्द्र शंखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल


तहसील थलीसैण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
		कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति 0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	(सुपर एरिया प्रति वर्ग दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सिमी पक्का / कच्चा)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	बैजरी से मैठाणाघाट तक, पोखडा से बैजरी, बैजरी से सिमरा, जोगीगडी मार्ग, वीरखाल-दुनाव मोटर मार्ग तथा समस्त ग्रामी सिंक मार्ग	3850000	3786400	3630000	450	425	400	10000	16711	15061	9504	8830		
2	विशिष्ट ग्राम दरियालगा सुकई, (बैजरी बाजार), नौगांव, स्यूसी (स्यूसी बाजार)	3726800	3603150	3367430	378	360	336	9900	13213	11893	9504	8830		
3	अन्य ग्रामीण क्षेत्र	675367	643206	601128	74	70	66	9580	8382	8052	9504	8830		

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील कोटद्वार तथा यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा उत्तर-प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा यथा संशोधित संख्या- 197 /2015 / XXXVII(9) / स्टाम्प-40 /2010 देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9 के पत्र संख्या- 161 /2016 / XXXVII(9) / स्टाम्प-80 /2009 देहरादून दिनांक 10 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद गढ़वाल की तहसील कोटद्वार तथा यमकेश्वर हेतु पूर्व में जारी किए गये सर्किल रेट आदेश संख्या- 01 /2016 / XXXVII(9) / स्टाम्प-80 /2009 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2016 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि / भवनों की दरें (सर्किल रेट) निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाते हैं। यह दरें 16 जून 2016 से प्रभावी होंगी। इन दरों (सर्किल रेट) का सम्पूर्ण विवरण NIC पौड़ी वेबसाइट pauri.nic.in पर भी उपलब्ध है।


(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल


II कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल II

Email : dmgarhwal@gmail.com ph. 01368-222250 Fax - 222080

पत्रांक : ५४ / स्टाम्प / 2016-17 दिनांक पौड़ी १५ जून, 2016


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- उपजिलाधिकारी कोटद्वार तथा यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उपनिबन्धक कोटद्वार तथा यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार कोटद्वार तथा यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय प्रति।



(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील कोटद्वार के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)										
				कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर) रू० में		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमी०) रू० में		वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्गमी०) रू० में		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रति वर्गमीटर (प्रकाश)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	क	1-जी०एम० ओ० यू० लिमि० के पैट्रोल पम्प से झण्डाचौक तक 2-झण्डाचौक से गोखले मार्ग तक 3-झण्डाचौक से नजीबाबाद चौराह तक 4-स्टेशन, रेलवे स्टेशन से झण्डाचौक तक 5- रेलवे स्टेशन से नजीबाबाद चौराह तक 6- झण्डाचौक से दीप टॉकीज के गदरे तक 7- नजीबाबाद चौराहा से माहेश्वरी पैट्रोल पम्प तक 8- झण्डाचौक से गंगादत्त जोशी मार्ग के तिराहे तक 9- गैरेज मार्ग के तिराहा से राष्ट्रीय राजमार्ग तक 10- हनुमान मन्दिर से माल गोदाम रोड होते हुए झूलापुल तक	नगरीय	-	-	-	7000	6500	6000	19000	46000	41000	12000	10000



 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

2.	ख	1- लालपुल से टाटा के समीप जी०एम०ओ०यू०लिमि० के पैट्रोल पम्प तक 2- विकास नगर तिराहा से खो नदी तक	नगरीय	-	-	-	6000	5500	5000	18000	45000	40000	12000	10000
3	ग	1-माहेश्वरी पैट्रोल पम्प से कौड़िया बैंक पोस्ट तक 2-देवीरोड के गदरे से तड़ियालचौक तक 3-देवी मन्दिर से (बालासाँड) नजीबाबाद रोड तिराहे तक (कौड़िया)	नगरीय	-	-	-	2400	2300	2100	14400	40000	35000	12000	10000
4	घ	1-तड़ियाल चौक से सुखरौ नदी के पुल तक 2-कौड़िया से बी०ई०एल०कैक्ट्री तक	अर्ध-नगरीय	220	200	180	2300	2200	2000	14300	35000	30000	12000	10000
5	ङ.	1- सुखरौ पुल से मालान नदी के पुल तक 2-बी०ई०एल० कैक्ट्री से सुखरौ पुल तक	अर्ध-नगरीय	200	150	130	1700	1600	1500	13700	32000	28000	12000	10000


(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों की न्यूनतम दरें
(नगरपालिका परिषद् कोटद्वार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मौहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों का नाम	मौहल्ला क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)										
				कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें लाख रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रतिवर्ग मीटर) रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय एरिया (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1.	क	1- कालावड़ 2- काशीरामपुर 3- नयानांव	नगरीय	0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (कच्चा)
2	ख	1- गाड़ीघाट चक नं० 1 2- गाड़ीघाट चक नं० 2 3- पनियाली तल्ली 4- जौनपुर	नगरीय	360	350	340	4200	4000	3800	16200	37000	36000	12000	10000


 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील कोटदार, के अन्तर्गत नगर पालिका दुमड्डा के नगरीय क्षेत्र

क्र० सि०	प्रमुख मार्ग / मौहल्ले / राजस्व की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहल्ला / राजस्व ग्रामों क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)											
			कृषि भूमि (प्रति हे०) लाख रु० में	दर	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रतिवर्गमीटर) रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर)	वहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर प्रतिवर्गमी०) रु० में	नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर रु० में	दर					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1.	क	राष्ट्रीय राजमार्ग (बदीनाथ मार्ग) 1-धनीराम बाजार 2-कमला नेहरू मार्ग 3-मोती बाजार 4-सुभाष बाजार 5-विकास कॉलोनी 6-बहेड़ी	नगरीय	-	-	-	1200	1000	900	13200	34000	31000	12000	10000

(चन्द्र शांकर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील कोटद्वार, के अन्तर्गत समस्त अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की न्यूनतम दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)										
				कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें लाख रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर) 0-50 मी० 50 से 200 मी० से अधिक तक	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रतिवर्गमीटर) रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर) 0-50 मी० 50 से 200 मी० से अधिक तक	वहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्रतिवर्गमी० रु० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में	अन्य वाणिज्यिक (पक्का) प्रतिस्त्रान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर रूपये में	श्रेणी द्वितीय (कच्चा) श्रेणी				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1.	क	1- सिताबपुर (सुखरी) 2- कौडिया 3- मानपुर 4- शिबूनगर 5- पदमपुर	अर्द्ध-नगरीय	190.00	180.00	170.00	2500	2400	2300	14500	38000	34000	12000	10000
2.	ख	1- सिमलचौड (सुखरी) 2- शिवपुर 3- काशीरामपुर 4- कालाबड	अर्द्ध-नगरीय	170.00	160.00	150.00	2100	2000	1800	14100	36000	32000	12000	10000
3.	ग	1- बलभद्रपुर (सुखरी) 2- बालासौड 3- रतनपुर 4- हरसिंहपुर	अर्द्ध-नगरीय	150.00	140.00	135.00	1900	1800	1600	13900	32000	28000	12000	10000
4.	घ	1- धुवपुर (सुखरी) 2- निम्चौड (मोटावाक)	अर्द्ध-नगरीय	115.00	110.00	105.00	1600	1500	1300	13600	31000	26000	12000	10000
5	ङ	1- तालपुर (सुखरी) 2- गारुटनगंज (सनेह) 3- कुम्भीचौड	अर्द्ध-नगरीय	95.00	85.00	82.00	1200	1100	1000	13200	30000	25000	12000	10000

तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की न्यूनतम दरें

क्र० स०	प्रमुख मार्ग / मौहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)													
			क्षेत्र	कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें लाख रु० में			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मीटर) रु० में			बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०) रु० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर रु० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (कच्चा)
				0-50 तक	50-200 तक	200-500 तक	0-50 तक	50-200 तक	200-500 तक							
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
1	क	(मोटादाक)	ग्रामीण	125.00	115.00	110.00	1600	1500	1300	13600	30000	28000	12000	10000		
2	ख	(हल्दूखाला)	ग्रामीण	90.00	85.00	80.00	950	900	850	12950	22000	20000	12000	10000		

		17-रतनपुर 18-जीतपुर	" "	ग्रामीण	90.00	85.00	80.00	950	900	850	12950	22000	20000	12000	10000
3	ग	1-हल्दुखाता तल्ता (मोटाढाक) 2-पूर्वा झण्डीचौड 3-परिचमी झण्डीचौड (हल्दुखाता) 4-उत्तरी झण्डीचौड 5-भूपदेवपुर 6-किशनदेवपुर	" " " " " "	ग्रामीण	82.00	80.00	75.00	900	850	800	12900	20000	18000	12000	10000
4.	घ	1-नाथपुर 2-तालपानी वल्ली 3-तालपानी पल्ली 4-रामपुर 5-कोटडीढाक 6-सनेह मल्ली 7-सनेह तल्ली 8-विशनपुर	(सनेह) " " " " " " "	ग्रामीण	65.00	55.00	50.00	800	700	650	12800	20000	18000	12000	10000
5.	ङ	1-जीवानन्दपुर (मोटाढाक) 2-शिवराजपुर 3-खूनीबड 4-देवराजपुर 5-मवाकोट 6-नन्दपुर 7-हल्दुखातामल्ता (हल्दुखाता) 8-किशनपुर 9-जशोधरपुर 10-मगानपुर	" " " " " " " " " "	ग्रामीण	95.00	90.00	85.00	1200	1100	1000	13200	30000	28000	12000	10000
6.	च	1-भीमसिंहपुर (मोटाढाक) 2-उदयराजपुर 3-उदयराजपुर नयावाद	" " "	ग्रामीण	80.00	70.00	65.00	850	800	720	12850	26000	24000	12000	10000


		4- त्रिलोकपुर 5- सत्तीवाँड 6- गोरखपुर 7- कोटला, 8- चौकीघाटा	" " " " "	ग्रामीण	80.00	70.00	65.00	850	800	720	12850	26000	24000	12000	10000
7.	ख	1- आमसौंड 2- रेंगा 3- फतेहपुर मल्ला 4- फतेहपुर तल्ला 5- गोदी बड़ी 6- गोदी छोटी 7- मेल्डा बड़ा 8- जमरगड्डी तल्ला 9- साझासैण 10- चोपड़ा लगा भदाली	(सीला) " " " " " " " " "	ग्रामीण	30.00	28.00	26.00	450	400	350	12450	17000	16000	12000	10000
8.	ज	(पट्टी सीला, तहसील कोटद्वार) 1-जमरगडीमल्ला 2-झवाणसार 3-धरियालसार 4-जोरयाणा 5-पन्देरासार 6-झवाणा 7-चोपडालगा उमरैला 8-उमरैला मल्ला, 9-उमरैला तल्ला, 10-महरगांव, 11-कैथोगी,		ग्रामीण	28.00	26.00	25.00	380	350	300	12380	16000	15000	12000	10000

12-बोरगांव लगा कैथोरी,																			
13-सरुडा लगा जोरगाणा,																			
14-पलेटा,	ग्रामीण	28.00	26.00	25.00	380	350	300	12380	16000	15000	12000	10000							
15-भेल सरुडा,																			
16-सुनारगांव,																			
17-बहेडी,																			
18-सिरसू,																			
19-खनबड,																			
20-केशुधरा,																			
21-मेरुवा,																			
22-जुगरसेण,																			
23-भदाती तल्ली,																			
24-घोटा मल्ला,																			
25-घोटा तल्ला,																			
26-उमल्ला,																			
27-अमखोली,																			
28-काण्डा,																			
29-बोरगांव,																			
30-भैरगांव,																			
31-भेल्डा छोटा,																			
32-नाथपुर,																			
33-जोरगाणा,																			
34-सिमलचौड																			

9.	झ	शमीण	27.00	22.00	20.00	300	280	250	12300	15000	14000	12000	10000
	(पट्टी लंगूर, तहसील कोटद्वार 1-उडियासी 2-बैशोखी 3-बनाली, 4-काणडा, 5-बिरसाना, 6-संनोमी, 7-नडडा, 8-बडेथ, 9-रिडुड, 10-महरगांव, 11-लंगूर पल्ला, 12-हथनूड, 13-कडासू, 14-बठेली, 15-भलगांव, 16-वनकण्डी, 17-मदनपुर, 18-जवाड, 19-जोगयाणा (पट्टी डबरालसू तहसील कोटद्वार) 1-जल्ला, 2-स्यालना, 3-डावर, 4-कण्डवाण, 5-खनपट्टी, 6-हल्लुआ, 7-चमसूल 8-कट्ट 9-जामल												

	10-नारा, 11-गहली, 12-तिमली, 13-जौली, 14-डंगला, 15-अमालू, 16-अमाडी, 17-खेडा, 18-डवाली	ग्रामीण	27.00	22.00	20.00	300	280	250	12300	15000	14000	12000	10000
10.	अ (फुटी अजमेर तहसील कोटद्वार) 1-उतिच्छा 2-बरेख 3-गुलिण्डा, 4-धुराताल, 5-कैलाखर, 6-रामडी, 7-गौजेटा, 8-ताछियाली, 9-गिंटाला, 10-रयालिगा, 11-काटल, 12-ईडा तला, 13-ईडा मला, 14-ईडा बडा, 15-काण्डई, 16-मीरावा, 17-गहड, 18-चौण्डली, 19-धरगांव, 20-वली	ग्रामीण	20.00	18.00	16.00	280	250	230	12280	14000	13000	12000	10000

21-मथाणा तल्ला,																				
22-मथाणा वल्ला,																				
23-कटुड छोटा,	ग्रामीण	20.00	18.00	16.00	280	250	230	12280	14000	13000	12000	10000								
24-उड्डा,																				
25-उबरा,																				
26-चंदनी,																				
27-भट्टगांव,																				
28-बागी बडी,																				
29-गवासी,																				
30-गौला मल्ला,																				
31-गौला तल्ला,																				


 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल


तहसील यमकेश्वर / कोटद्वार के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)											
			कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें लाख रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रतिवर्गमीटर) रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर)	वहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में	वाणिज्यिक भवन एरिया (सुपर प्रतिवर्गमी०) रु० में	नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर (प्रथम श्रेणी)	द्वितीय श्रेणी (कच्चा)						
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1.	क	कैम्प कार्यालय (जिलाधिकारी) से गीता भवन गेट नं० 1 व 5 तक 1-लक्ष्मीणझूला 2-रामझूला 3-स्वर्गाश्रम 4-जौंक	नगरीय	320	300	280	5000	4500	4200	17000	45000	42000	12000	10000
2.	ख	नीलकंठ मार्ग 1-मराल (घट्टघाट) 2-गुण्डेरासू 3-मान वल्ला 4-मान पल्ला 5-जोरयाण 6-कोटार 7-तौली 8-भादसी 9-तलाई 10-रत्नापानी 11-खैरखाल	ग्रामीण	40.00	38.00	36.00	550	500	450	12550	22000	20000	12000	10000

ग	दुगाडडा-कांडी-लक्ष्मणझूला मार्ग	गामीण	42.00	40.00	38.00	500	450	430	12500	21000	18000	12000	10000
3.	1-दुगाडडा												
	2-मटियाली												
	3-काडाखाल												
	4-कट्टुधार												
	5-पौखाल												
	6-नालीखाल												
	7-कस्याली												
	8-भुगुखाल												
	9-कांडी												
	10-ठांगर												
	11-विथ्यापी												
	12-दमराडा												
	13-यमकेश्वर												
	14-बडोली												
	15-सिलडी जामल												
	16-कुलेथा												
	17-तिलधारखाल												
	18-तुगाखाल												
	19-अमोला												
	20-डांडादमराडा												
	21-पोखरी												
	22-भडुथ												
	23-गन्डकिया												
	24-मागथा												
	25-खेडा												
	26-बिनक पोखरखाल												
	27-फल्डाकोट												
	28-उमडा												
	29-दउली												
	30-झडिया												

(चन्द्र शेखर भट्टर)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

31-खैरखाल																			
32-गुरुडवडी																			
33-गंगासोगपुर	ग्रामीण	42.00	40.00	38.00	500	450	430	12500	21000	18000	12000	10000							
34-कौडिया																			
35-बडास																			
36-काडाखाल																			
37-किमसार																			
38-रामजीवाला																			
39-तौली																			
40-भदासी																			
41-तलाई																			
42-कोढार																			
43-मोहनचट्टी																			
44-गै-डाखाल																			
45-उमसैली (उदयपुर)																			
46-धौतिया (लौक)																			


 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील कोटद्वार / रामकेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों की न्यूनतम दरें


क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मौहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)							बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०) रु० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर (पक्का)	प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी (कच्चा)
				कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें लाख रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर) 0-50 मी० 50 से 200 मी० 200 से अधिक तक	दरें लाख (मार्ग से दूरी के आधार पर) 0-50 मी० 50 से 200 मी० 200 से अधिक तक	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मीटर) रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर) 0-50 मी० 50 से 200 मी० 200 से अधिक तक	सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी० से 200 मी० तक अधिक	आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०) रु० में	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी (कच्चा)					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
1	क	1- गूम (पीखाल) 2- डाडामण्डी 3- पट्ट अकरा 4- कलौड़ी 5- बौटा 6- विरमोली 7- जवाड़ 8- कटुड़ 9- विरमोलीखाल	ग्रामीण	40.00	37.00	35.00	500	450	400	12500	18000	16000	12000	10000	
2	ख	1- नालीखाल 2- नाथूखाल 3- भवासी 4- गवथीपुल 5- रामडी वल्ली 6- कोटद्वार से रामगांव मार्ग	ग्रामीण	30.00	25.00	22.00	380	350	300	12380	17000	16000	12000	10000	
3	ग	1- नाली बड़ी 2- नाली छोटी 3- नाली बड़ोली	ग्रामीण	10.00	8.00	7.00	170	160	150	12170	16000	15000	12000	10000	

4	घ	1- गंगा भोगपुर तल्ता 2- गंगा भोगपुर मल्ता	शमीण	18.00	14.00	12.00	280	260	250	12280	16000	15000	12000	10000
5	ड.	(पट्टी उदयपुर तह० यमकेश्वर) 1-कर्याली, 2-पहरीसार, 3-थान, 4-निषणी, 5-रुन्ना, 6-रेरोली, 7-खोबर, 8-कोटकिण्डा, 9-बिस्सी, 10-जयहरी मल्ती, 11-जयहरी तल्ती, 12-कोलसी, 13-अमगांव, 14-गवाडी, 15-चोपडा, 16-डाण्डा विनक, 17-शनूर, 18-डिण्डा लगा शीला, 19-बोरगांव, 20-बडयूण, 21-बधेलगांव, 22-मलेशा, 23-राजसेरा, 24-टांगर, 25-बोरगांव लगा अमगांव, 26-टुंगाधार, 27-टुंगा हलद्वारी,	शमीण	12.00	10.00	8.00	300	280	250	12300	16000	15000	12000	10000

26-तुंगाधार,																			
27-तुंगा हलद्वारी,																			
28-तुंगा संकरा,																			
29-तुंगा अकरा,																			
30-सीला,	ग्रामीण	12.00	10.00	8.00	300	280	250	12300	16000	15000	12000	10000							
31-पंचुर,																			
32-फंडुवा,																			
33-गाजसेरा,																			
34-तिलफरियासेरा लगा काण्डी,																			
35-दालमीसेरा,																			
36-गलीवण,																			
37-टिंगावाज,																			
38-तिलफरियासेरा लगा सीला,																			
39-जियादमराडा,																			
40-उनियाल दमराडा,																			
41-चाई दमराडा,																			
42-पिपरौली,																			
43-आसौदमराडा,																			
44-डाडादमराडा,																			
45-अमोला,																			
46-बर्गुनीडांडा,																			
47-जामलीगाव,																			
48-गडेथ,																			
49-रैनाबाडी,																			
50-गंगासलाण																			
51-तैल्ला सलाण																			

6	च																	
	(पट्टी तल्का ढांगू तहसील यमकेश्वर)	ग्रामीण	10.00	8.00	6.00	330	300	250	12330	15000	14000	12000	10000					
	1-विजनी छाटी, 2-विजनी बड़ी, 3-जोगयाणा(तल्का ढांगू-1) 4-तिलयालगांव, 5-पलियालगांव, 6-धुनारगांव, 7-भाला, 8-नकुरवी, 9-कोटा, 10-सिरासू, 11-गोण्ड, 12-सिन्धी, 13-जुकाला, 14-श्रीकोट, 15-नांद, 16-उच्चाकोट, 17-कूपड, 18-नौड, 19-ढौर, 20-धारी, 21-ढासी, 22-पापडी, 23-जसकोट, 24-खैडा, 25-कूला, 26-झौड, 27-उडोली ।																	

7	ख	(पट्टी अजमेर तहसील यमकेश्वर)													
		1-ताछला, 2-अमोला, 3-उलिचाल लगा अमोला, 4-चिलमा, 5-कयुन्डा, 6-देवराणा	शमीण	10.00	8.00	7.00	350	300	250	12300	15000	14000	12000	10000	


(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल